न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 154/25 GCMS NO 2025/288

भगवान गिरि चेला दौलत किशोर जाति गिरि गुसाई निवासी बदरी के हनुमान के पास करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

मूर्ति मंदिर जी श्रीमहादेव जी हनुमान जी विराजमान बदरी के हनुमान करौली तहसील व जिला करौली जरिये नेक्सट फ्रेण्ड एवं दर्शनार्थी

1. शिम्भू पुत्र अर्जुन जाति कहार निवासी तावे की टोरी करौली तहसील व जिला करौली
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमुना प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी तांवे की टोरी करौली तहसील व जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 60/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामनिवास पाराशर
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 28.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.10.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व मन्जू पुत्र मांगी द्वारा एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा एवं कायम किये जाने रिसीवर इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा न0 2539 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा , 2544 रकबा 13 विस्वा, 2545 रकबा 17 विस्वा, 2562 रकबा 6 विस्वा, 2563 रकबा 2 विस्वा, 2564 रकबा 5 बीघा 6 विस्वा, 3769 लगायत 3772 एवं 3774 एवं 3785 तथा 3786 व 3789 तथा 3790 कुल किता 15 कुल रकबा 11 बीघा 12 विस्वा स्थित करौली मंदिर मूर्ति महादेव जी व हनुमान जी स्थान बदरी के हनुमान कस्बा करौली पटवार हल्का 8 करौली स्थित है। यह आराजीयात मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमानजी की खुद काश्त की खातेदारी व कब्जे की है। जिनके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 मे दर्ज है। आराजीयात खसरा न0 2539,2544,2545,2562,2563,2564 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 विस्वा दर्ज वाद पत्र मद न0 1 मूर्ति हनुमान कस्बा करौली मे है। यह आराजीयात मूर्ति मंदिर महोदव जी हनुमान जी की तन्हा खातेदारी व कब्जा काश्त की खुद काश्त भूमि सेवायत को व्यवस्थापंक को कोई खातेदारी अधिकार मूर्ति मंदिर भूमि पुजारी व्यवस्थापक खातेदार नही हो सकता है। मूर्ति मंदिर खातेदार होता है मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिंग है और शाश्वत नाबालिंग की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी भूमि पर पुजारी का सेवायत को अन्य किसी व्यक्ति को विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है ना ही पुजारी ऐसी भूमिका विधि अनुसार खातेदार हो सकता है। यह प्रावधान धारा 46 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे स्पष्ट है। वाद पत्र के इस पैरा मे दर्ज भूमि कृषि भूमि है। मूर्ति मंदिर भूमि जनहित की भूमि होती है जनहित के उद्वेश्य के लिए भूमि होती है। पुजारी का सेवायत व्यवस्थापक मूर्ति मंदिर के प्राकृतिक संरक्षक भी नही है। वस्तुतः संरक्षक/डिफेक्टेड मार्जियन की स्थिति मे होते है। देव मूर्ति मंदिर की खातेदारी की भूमि मूर्ति मंदिर की मिल्कियत की भूमि का प्राकृतिक संरक्षक द्वारा भी बिना जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अनुमति के हस्तान्तरण नही होता है। बिना न्यायालय अनुमति को मंदिर भूमि का हस्तान्तरण अवैध होता है। यह विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था है। भूमि दर्ज वाद पत्र पेरा न0 2 मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमान जी की राग भोग व्यवस्था के लिए है एवं इस भूमि के हुए अनाधिकार, बिला आधार अवैध खातेदारी इन्द्राज बहक दौलतपुरी चेला शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी कस्बा करौली प्रतिवादी न0 1 के हक मे हुए है यह पूर्णत विधि विरूद्व है प्रभावहीन व शून्य है और हक हकूक खातेदारी मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमान जी विराजमान बंदरी का हनुमान मौसूमा करौली प्रारंभतः प्रभावहीन व शून्य है। बाध्यकारी नही है विधि अनुसार पुजारी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हनी किया जा सकता है। पुजारी को मूर्ति मंदिर भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। राजस्व विभाग द्वारा ऐसे परिपत्र भी राजस्व कर्मियो को अधिकारियो को जारी किये हुए है वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमान जी विराजमान कस्बा करौली मौसूमा बंदरी का हनुमान दर्ज वाद पत्र पेरा न0 2 मे दर्ज आराजीयात का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है और वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमान जी विराजमान कस्बा करौली के हक मे राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी मे खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी दौलतपुरी शंकरपुरी का विधिवत शिष्य नही है। प्रतिवादी कमलगिरी का जन्मदाता पुत्र है प्रतिवादी दौलतपुरी ने राजस्व कर्मियो से मिलकर बिला आधार अनाधिकार तौर पर वादी मंदिर मूर्ति की खातेदारी व कब्जे की भूमि के स्थान पर अपने हक मे अवैध तौर पर बिना आधार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी दौलतगिरि मूर्ति मंदिर मंदिर महादेव जी हनुमान जी का रक्षक नही होकर भक्षक बन गया है। राजस्व कार्मिक भी प्रतिवादी से साज कर गये है प्रतिवादी दौलतगिरि के हक मे किया गया खातेदारी इन्द्राज पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने योग्य है। वादी जो कि कस्बा करौली के निवासी है तथा मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमान जी के दर्शनार्थी है और वादी मूर्ति मंदिर के नैक्स्ड फ्रेण्ड हितेषी है। दावा पेश करने के अधिकारी है। प्रतिवादी गलत इन्द्राज के आधार पर मूर्ति मंदिर की भूमि को बेचान करने पर आमादा है। जिसके बाबत प्रतिवादीगण ने बेचान की बातचीत कर ली है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व भूमि बेचान नही करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे एल एन टी चलाकर सैकडो हरे वृक्षो को उखाड दिया है तथा भूमि मे निर्माण करने पर आमादा है। वादी द्वारा प्रतिवादी से मना किया तो प्रतिवादी झगडा करने पर आमादा हो गया। पुजारी को मंदिर की भूमि को अपने नाम कराने का कोई अधिकार हासिल नही है। मूर्ति मदिर की भूमि पर कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपने हक मे कराया गया नामा0 व खातेदारी इन्द्राज पूर्णतया कपट पूर्ण है। जो विधि विरूद्व है। प्रभावहीन व शून्य है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी मूर्ति मंदिर को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

प्रतिवादीगण द्वारा नही दिया गया है। वादी वाद पत्र के पैरा संख्या 2 मे दर्ज आराजीयात की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है। भूमि मंदिर के खुदकाश्त की है मंदिर हितो को ध्यान मे रखते हुए जनहित मे वादी मंदिर हित मे वादग्रस्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात के अलावा खसरा न0 2539,2544,2545,2562,2563, 2564 पंचना सिचाई परियोजना डूब मे चली गई है। जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी न0 1 मंदिर वादी को धोखा देकर कपटपूर्ण तरीके से स्वयं को खातेदार बताकर मुआवजा धन राशि प्राप्त कर ली है। जिसके लिए अलग से कार्यवाही की जायेगी। वाद पत्र केवल पैरा संख्या 2 मे दर्ज भूमि के लिए पेश किया गया है। मंदिर की भूमि पर प्रतिवादी न0 1 पूर्णतया अतिक्रमी की हैसियत से होने के कारण बिना अधिकार होने के कारण प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी व हनुमान जी स्थित कस्बा करौली तहसील करौली की आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा संख्या 2 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 विस्वा स्थित कस्बा करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के हक मे राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी मे वादी के नाम खातेदारी इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादी न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा किसी प्रकार से पंजीयन नही करावे एवं आराजीयात मे खडे वृक्षो को किसी प्रकार से नही काटे ना ही उखाडे तथा किसी प्रकार का निर्माण नही करे व प्रतिवादी का कब्जा अनाधिकार होने से प्रतिवादी को बेदखल किया जावे एवं न्याय दृष्टि से वादी मंदिर भूमि की सुरक्षा रख रखाब के लिए आवश्यक व उचित समझे जाने पर न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व मन्जू पुत्र मांगी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1/1 के द्वारा यह अपील इस न्यायालय द्वारा पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड,साक्ष्य व दस्तावेजात के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की तामिल रजिस्टर्ड डाक से उसे प्राप्त होना मानते हुए 1.10.25 को उसके विरूद्व एक पक्षीय आदेश जल्दबाजी मे मनमाने तरीके से पारित करने मे अहम भूल की है। जबकि पोस्ट मैन द्वारा उसे कोई न्यायालय के सम्मन की तामिल नही हुई है ना ही उसे जरिये डाक सम्मन आज दिवस तक प्राप्त हुआ है। पत्रावली पर भी ऐसा कोई दस्तावेज नही है। जिससे अपीलांट पर व्यक्तिगत रूप से तामिल उसे प्राप्त हुई हो। इन तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से तामिल मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही उसके विरूद्व करके एक पक्षीय निर्णय वगैर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर अपीलांट को दिये निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो अपास्त किया जाकर मामला पुनः अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट की साक्ष्य सुनवाई किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाकर पुनः विधि अनुसार निस्तारण किये जाने के निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है भूमि कभी भी मंदिर मूर्ति हुनमान जी महादेव जी की खुदकाश्त नही रही है। अपीलांट की विवादित भूमि को सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के मंदिर के नाम सम्वत 2015 मे की है। जो कतई नियम विरूद्व गैर कानूनी होने से रेस्पो0 को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होत है। जागीर रिजम्पशन के दिवस विवादित भूमि मंदिर की खुदकाश्त नही रही है प्रकरण मे अपीलांट के खातेदारी अधिकार का मामला निहित होने के कारण उन्हे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिससे उसके हक की रक्षा हो सके इसलिए एक पक्षीय आदेश दिनांक 1.10.25 व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 अपास्त किया जाकर मामला पुनःविधि अनुसार निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया जाना जरूरी है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया कि सेटलमेंट पूर्व से कब्जा आज तक अपीलांट का विवादित भूमि पर चला आ रहा है। विवादित भूमि कभी भी मंदिर खुदकाश्त की नही रही है इसके बाबजूद उनके साधिकार कब्जे से भूमि छीनने के उद्वेश्य से अपीलांट को बेदखल कर रेस्पो0 संख्या 3 को कमेटी बनाकर इन्तजाम काश्त के आदेश पारित करने मे गंभीर त्रुटि की है। निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो की अवहेलना कर अनदेखी की है। रिसीवर के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे धारा 212 के अनुसार रिसीवर ताफैसला दावा किया जाता है। जो मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावशील रहता है। इस मूल वाद मे रिसीवर की तरह आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पो0 ना तो नेक्स्टफ्रेण्ड है ना ही दर्शनार्थी है। देषतापूर्णक दावा पेश किया गया है। मंदिर की सेवा पूजा दौलतगिरि करते थे उनकी मृत्यु पश्चात उनके द्वारा अपीलांट के हक मे रजिस्टर्ड वसीयत करने के फलस्वरूप उनके जीवनकाल से अपीलांट काश्त करता रहा है तथा मृत्यु होने के उपरान्त आज तक सेवा पूजा राग भोग करता चला आ रहा है। मंदिर मूर्ति हनुमान जी व महादेव जी व विवादित भूमि पर कब्जा काश्त आज दिवस तक चला आ रहा है। और काबिज है। दौलतगिरि बनाम वालकृष्ण शर्मा के मध्य पूर्व मे मुकदमे चले है उन्होने रेस्पो0 शिम्भू कहार जो वालकृष्ण शर्मा के भाई ओ0पी0नइयर एड0 के यहॉ काम करता था उसके व भाई के लडके राजेन्द्र से यह दावा मंजू का नाम लिखकर दर्ज कराया है उनका इरादा येनकेन प्रकरण विवादित भूमि को हडपने का रहा है रेस्पो0 का उद्वेश्य मंदिर के विपरीत रहा है इसलिए नेक्स्टफ्रेण्ड नही हो सकते है निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। दौलतपुरी बनाम बालकृष्ण दावा मुकदमा न0 71/85 न्यायालय ए डी एम करौली से दिनांक 16.4.86 को डिक्री हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.11.25 को एक पक्षीय कार्यवाही व निर्णय व डिक्री की जानकारी देने पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इसलिए अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के अवलोकन के बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस भिजवाया है ना ही उनसी तामिल हुई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस जारी कर अपीलांट को तलब किया गया है जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब दावा पेश किया गया है। इससे अपीलांट का उक्त कथन स्वतः ही झूठा साबित होता है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की खातेदारी की भूमि रही है, अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है क्योकि वादग्रस्त आराजीयात मंदिर मूर्ति हनुमान जी ,महादेव जी की खुदकाश्त की भूमि रही है। सेटलेंट कर्मचारियो द्वारा कोई गलती नही की गई है। भूमि जागीर रिज्मशन के दिवस को मंदिर की खुदकाश्त की भूमि रही है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात पर उनका कब्जा काश्त है जबकि सत्यता यह है कि भूमि वादग्रस्त पर वादी/रेस्पो0 का रहा है एवं वर्तमान मे भी कब्जा रेस्पो0 का ही है। अपीलांट का भूमि वादग्रस्त पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है ना ही वर्तमान मे है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे उनकी साक्ष्य नही ली गई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 को साक्ष्य के कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उनकी साक्ष्य बंद की जाकर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वार विधिवत रूप से तनकीयात कायम की गई है। जिसमे तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्व करने का भार वादी/रेस्पो0 को दिया गया था जिसे वादी द्वारा विधिवत रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व किया है। प्रतिवादीगण को तनकी संख्या 3 व 4 को सिद्व करने का भार दिया गया था जिसे प्रतिवादीगण सिद्व करने मे असफल रहे है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2015 प्रदर्श 1 एंव जमाबंदी सवंत 2019 से 22 प्रदर्श 3 से भूमि वादी मंदिर की खुदकाश्त खातेदारी व कब्जे की होना प्रमाणित हुआ है तथा प्रदर्श 2 जमाबंदी सवंत 2064–67 मे अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 के हक मे दर्ज खातेदारी इन्द्राज अवैध माने गये है। इस प्रकार वादी/रेस्पो0 द्वारा अपने वाद का पूर्णतया सिद्व किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर एवं तनकीयात कायम करते हुए प्रत्येक तनकी पर विधिवत रूप से विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा एंव कायम किये जाने रिसिवर पेश किया गया है। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि किसी भूमि पर रिसीवर कायम कराने हेतु टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 (2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है या पक्षकारो के मध्य आपस मे फौजदारी होने की स्थिति मे एवं जानमाल की गंभीर क्षति होने की संभावना होने की स्थिति मे सबंधित थानाधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान धारा 145 सी आर पी सी के तहत भूमि को रिसीवर मे लेने बाबत इस्तगासा सक्षम न्यायालय मे पेश किया जाता है। जब रिसीवरी की कार्यवाही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण मे वादी द्वारा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कायम रिसिवरी के बाबत रिलीफ चाही गई है, जबकि रिसीवरी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार घोषित करते हुए तथा प्रतिवादी/अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर भूमि को रिसीवरी मे लेने के आदेश पारित किये गये है। जबकि भूमि को रिसीवरी के लिए कानून मे अलग से प्रावधान है। भूमि को रिसीवरी मे लेने के आदेश ताफैसला दावा तक ही प्रभावी होते है। हस्तगत प्रकरण मे दावे में ही भूमि को रिसीवरी मे लिये जाने के आदेश दिये गये है। जो कानून के विपरीत है। यदि वादी वादग्रस्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहता है तो उसको धारा 212 (2) आर टी एक्ट के माध्यम से चाराजोही करनी चाहिए थी। दावे के माध्यम से भूमि को रिसीवरी मे लिया जाना कानून के खिलाफ है। इस कानूनी बिन्दु को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं यदि वादी वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहता है तो वह विधि अनुसार टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 (2) के प्रावधानो के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली के प्रकरण संख्या 60/10 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 02.06.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.4.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर